



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल - 462011)

क्रमांक 1502/ तकनीकी-11/2016

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2016



प्रति

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय - वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज पर दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील प्रावधान के अनुसार न्यूनतम पांच सौ रूपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रूपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्टाम्प शुल्क के रूप में शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति न हो।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 1503/ तकनीकी-11/2016

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

9
29-3-16